भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 863
जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।
.....

ऊपरी भद्रा परियोजना को मंजूरी

863. **डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:**
श्रीमती कविता मलोथू:
श्री दयाकर पसुनूरी:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में ऊपरी भद्रा परियोजना को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह स्वीकृति किस आधार पर दी गई है;
(ग) क्या इस संबंध में निचले तटवर्ती राज्यों तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश से विमर्श किया गया है/उनकी राय ली गई है;
(घ) यदि हां, तो दोनों राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों/उनके द्वारा दी गई राय का ब्यौरा क्या है; और
(ड) क्या ऊपरी भद्रा परियोजना को पर्यावरण, वन और अन्य स्वीकृति प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) और (ख): इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एक विस्तृत टेक्नो-इकोनॉमिक मूल्यांकन किया गया था जिसमें जल विज्ञान और जल उपलब्धता, सिंचाई योजना, अंतर्राज्यीय पहलु, पर्यावरण अनापत्ति, वन अनापत्ति, अनुमान लागत आदि जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया। इसके उपरांत, दिसंबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुद्देशीय परियोजना संबंधी सलाहकार समिति ने अपनी 147वीं बैठक में अपर भद्रा सिंचाई परियोजना के मंजूरी प्रदान की थी। तदोपरांत, अप्रैल 2021 में इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 के मूल्य स्तर पर परियोजना को 16125.48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निवेश स्वीकृति को मंजूरी दी गई।

(ग) और (घ): परियोजना के लिए अंतर्राज्यीय स्वीकृति कर्नाटक राज्य के संपूर्ण आवंटन की सीमा के भीतर होने के आधार पर कृष्णा जल विवाद अभिकरण-1 द्वारा अनुमोदित किया गया।

(ड.): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को मई, 2010 और जुलाई 2017 में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, जून 2020 में 96.95 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद, दिसंबर, 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 111.57 हेक्टेयर और 110.10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वन स्वीकृति को भी अनुमोदित कर दिया गया।